हुक्म की ... जारी

22.11.22 वुकलाये फरीकैन उपस्थित।
वादी ने उक्त प्रा० पत्र से संबंधित
मूल वाद सं: 133/2015 उनवानी
वीरसिंह v/s राजेश आदि को
विड्रा कर लिया है। इसलिए
अब उक्त हस्तगत प्रा० पत्र मूल
वाद के अभाव में आगे चलने
योग्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र
खारिज किया जाता है। पत्रावली
दर्ज नम्बर से कम होकर मूल
वाद सं: 133/2015 उनवानी वीरसिंह
v/s राजेश आदि के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.12.13 11:35:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner